रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2199] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 9, 2015/आश्विन 17, 1937
No. 2199] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2015/ASVINA 17, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2015

सं. 24/2015–2020

विषयः– आईटीसी (एचएस) 2012–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 88 की नीति शर्त–1 में संशोधन।

का. आ. 2775(अ).—समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2012–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 88 की नीति शर्त–1 को निम्नानुसार संशोधित करती हैः

आईटीसी (एचएस) 2012–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 88 की मौजूदा नीति शर्त–1 :

1. विमानों और हेलीकाप्टरों (इस्तेमाल किए हुए/पुराने विमान और हेलीकाप्टरों सहित) को निम्नलिखित द्वारा इस निदेशालय से आयात लाइसेंस प्राप्त किए बिना आयात किया जा सकता है।

(क) एयर इंडिया

(ख) भारतीय एयरलाइन्स

(ग) वायुदूत लिमिटेड

(घ) पवन हंस लिमिटेड

(ड.) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण

(च) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण

(छ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए) तथा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे अन्य फ्लाइंग क्लब/अकादमियाँ

(ज) अनुसूचित या गैर–अनुसूचित विमान परिवहन सेवा (इसमें एयर टैक्सी सेवा सम्मिलित है) के परिचालन हेतु, एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टरों के आयात के लिए, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त कोई व्यक्ति, बशर्ते एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टरों का आयात और उनका प्रयोग प्राप्त अनुमति के अनुसार हो।

(झ) द एयरो क्लब ऑफ इण्डिया

2. आईटीसी (एचएस) 2012–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 88 की संशोधित नीति शर्त–1 :

1. विमान और हेलीकॉप्टरों (इस्तेमाल किए हुए/पुराने विमान और हेलीकॉप्टरों सहित) को निम्नलिखित द्वारा विदेश व्यापार महानिदेशालय से आयात लाइसेंस प्राप्त किए बिना आयात किया जा सकता है।

(क) एयर इंडिया

(ख) पवन हंस लिमिटेड

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

(घ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए) तथा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे अन्य फ्लाइंग क्लब/अकादमियाँ

(ड.) अनुसूचित या गैर–अनुसूचित विमान परिवहन सेवा (इसमें एयर टैक्सी सेवा सम्मिलित है) के परिचालन हेतु, एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टरों के आयात के लिए, महानिदेशक नागर विमानन द्वारा अनुमति प्राप्त कोई व्यक्ति, बशर्ते एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टरों का आयात और उनका प्रयोग प्राप्त अनुमति के अनुसार हो।

3. <u>इस अधिसूचना का प्रभाव</u>:

आईटीसी (एचएस) 2012–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 88 की नीति शर्त–1 के तहत संगठनों की सूची को अद्यतन किया गया है।

[फा. सं. 01/89/180/22/एएम12/पीपी–2(क)]
अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2015

No. 24/2015-2020

Subject: Amendment in policy condition 1 of Chapter 88 of ITC (HS), 2012 – Schedule – 1 (Import Policy).

S.O. 2775(E): In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Policy Condition 1 of Chapter 88 of ITC (HS), 2012 – Schedule – 1 (Import Policy) as under:

Existing Policy Condition 1 of Chapter 88 of ITC (HS), 2012 – Schedule – 1 (Import Policy):

1. Aircraft and Helicopters (including used/second hand aircraft and helicopters) may be imported by the following without the need to obtain an import licence from this Directorate.

 (a) Air India
 (b) Indian Airlines
 (c) Vayudoot Limited
 (d) Pawan Hans Limited
 (e) National Airports Authority

(f) International Airports Authority of India
(g) Indira Gandhi Rashtriya Uran Academi (IGRUA)/and such other flying clubs/ Academies recognised by the Ministry of Civil Aviation, Government of India
(h) Any person who has been granted permission by the Ministry of Civil Aviation, Government of India, for operating scheduled or non-scheduled air transport services (including air taxi services) for import of aircraft or helicopters, subject to the condition that the import of the aircraft or helicopter and their use is in accordance with that permission.
(i) The Aero Club of India.

2. Revised Policy Condition 1 of Chapter 88 of ITC (HS), 2012 – Schedule – 1 (Import Policy):

1. Aircraft and Helicopters (including used/second hand aircraft and helicopters) may be imported by the following without the need to obtain an import licence from Directorate General of Foreign Trade.
(a) Air India
(b) Pawan Hans Limited
(c) Airport Authority of India
(d) Indira Gandhi Rashtriya Uran Academi (IGRUA) and such other flying clubs/ Academies recognised by the Ministry of Civil Aviation, Government of India
(e) Any person who has been granted permission by Director General of Civil Aviation, for operating Scheduled or Non-Scheduled Air Transport Services (including Air Taxi Services) for import of aircraft / helicopter subject to the condition that the import of the aircraft or helicopter and their use is in accordance with that permission.

3. **Effect of this Notification**: The list of Organisations under Policy Condition 1 of Chapter 88 of ITC (HS), 2012 – Schedule – 1 (Import Policy) stands updated.

[F. No. 01/89/180/22/AM-12/PC-2 (A)]

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.